न्यायालय आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर

पीठासीन अधिकारी : श्री नवनीत कुमार
अपील संख्या : 03/2023

श्री पृथ्वी सिंह पुत्र श्री सवाई सिंह, राजपूत, साकिन दीपपूरा, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू

अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज — रेस्पोडेन्ट

उपस्थिति :

1. श्री विनोद नाथ – वकील अपीलान्ट
2. श्री मोतीलाल – पैरोकार राज

निर्णय

दिनांक :– 03–06–2026

यह अपील अपीलान्ट श्री पृथ्वी सिंह पुत्र श्री सवाई सिंह, राजपूत, साकिन दीपपूरा, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू के द्वारा आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–01–1985 को राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के तहत 23(1) के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

अपीलार्थी ने अपने अपील मीमो में अंकित किया है कि आवंटन अधिकारी अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर द्वारा दिनांक 28–01–1985 को अपीलान्ट का भूतपूर्व सैनिक के आधार पर भूमि आवंटन प्रार्थना पत्र को कानून व तथ्यों के विपरीत खारिज कर दिया जो आदेश निरस्त फरमाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उल्लेखित तथ्यों के विपरीत आदेश पारित किया है जो आदेश निरस्त करने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट के पीठ पीछे पारित किया गया है। किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया गया, ना ही नोटिस की विधिवत तामील करवायी। सारी कार्यवाही एक तरफा तौर में अमल लाई गई, जो आदेश निरस्त करने योग्य है। अपीलाण्ट भूतपूर्व सैनिक के रूप में भूमि आवंटन करवाने का पात्र था तथा आवंटन नियम 12–ए की सभी शर्तें पूरी करता था। आवंटन अधिकारी द्वारा माइंड अप्लाई किए बिना आदेश पारित किया जो खिलाफ कानून होने से निरस्त योग्य है। अपीलाण्ट राजस्थान का सद्भावी मूल निवासी है व अपीलाण्ट के सर्विस रिकार्ड में राजस्थान का मूल निवासी बताया गया है व तहसील रिपोर्ट में राजस्थान का मूल निवासी व भूमिहीन है। इस तथ्य पर आवंटन अधिकारी द्वारा विपरीत आदेश पारित किए जो निरस्त करने योग्य है। अपीलाण्ट भूतपूर्व सैनिक सेना सुरक्षा बल का नियमानुसार भूतपूर्व कार्मिक रहा है व आज दिनांक तक भूतपूर्व सैनिक सुविधा मिल रही है, पेंशन मिल रही है। अपीलाण्ट को सेना सुरक्षा बल द्वारा कम्पलसरी रिटायर किया है। अपीलाण्ट द्वारा वोल्यन्टरी रिटायरमेन्ट नहीं लिया है। इस तथ्य पर भी आवंटन अधिकारी द्वारा बिना गौर किये जो आदेश पारित किया है वह निरस्त योग्य है। अपीलाण्ट सेना द्वारा किसी भी प्रकार से अनुशासनिक कारणों से पदमुक्त नहीं किया गया है। आवंटन प्रार्थना पत्र के साथ डिस्चार्ज बुक संलग्न है। इस पर भी आवंटन अधिकारी द्वारा बिना गौर किये जो आदेश पारित किया गया है जो निरस्त करने योग्य है। अपीलाण्ट दिनांक 23–12–2010 को भूतपूर्व सैनिक आवंटन अधिकारी, बीकानेर में आकर आवंटन बाबत जानकारी चाही, इससे पूर्व भी अपीलाण्ट ने जानकारी चाही। अपीलाण्ट को यह कहकर बताया नहीं गया कि आपको आवंटन होगा तो बुला लिया जायेगा। दिनांक 23–12–2010 को अपने वकील मार्फत नकल का प्रार्थना पत्र पेश किया। नकल दिनांक 28–12–2010 को मिली तब अपीलाण्ट को सर्वप्रथम जानकारी हुई, इससे पूर्व अपीलाण्ट को किसी तरह की कोई

(नवनीत कुमार)
आयुक्त उपनिवेशन

Scanned with OKEN Scanner

जानकारी नहीं थी। जानकारी के बाद अपीलाण्ट ने गांव जाकर रूपयों पैसों की व्यवस्था की और अपील अन्दर मियाद पेश कर रहा है। जिले कन्डोन करने योग्य है। अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर आवंटन अधिकारी का आदेश दिनांक 28–01–1985 को निरस्त फरमाया जावे व अपीलाण्ट को भूमि का आवंटन किया जावे।

प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक व राज्यपक्ष की ओर से पैरोकार राज उपस्थित हुए तथा अपील पर बहस की गई। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

बहस के दौरान अपीलाण्ट के अभिभाषक ने अपील के तथ्यों को दोहराया व कथन किया कि अपीलान्ट भूतपूर्व सैनिक के रूप में भूमि आवंटन करवाने का पात्र था तथा आवंटन नियम 12–ए की सभी शर्तों को पूरी करता है। राजस्थान का निवासी है। अपीलाण्ट सैनिक सेना सुरक्षा बल का नियमानुसार भूतपूर्व कर्मी रहा है व आज दिनांक तक भूतपूर्व सैनिक सुविधा प्राप्त कर रहा है व पेंशन मिल रही है। अपीलाण्ट को सेना सुरक्षा बल द्वारा कम्पलसरी रिटायर किया है। अपीलाण्ट द्वारा वोल्अन्टरी रिटायरमेन्ट नहीं लिया है। इस तथ्य पर भी आवंटन अधिकारी द्वारा बिना गौर किये जो आदेश पारित किया है, वह निरस्त योग्य है। अपीलाण्ट को सेना द्वारा किसी भी प्रकार से अनुशासनिक कारणों से पदमुक्त नहीं किया है। डिस्चार्ज बुक प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवंटन अधिकारी द्वारा जारी आदेश दिनांक 28–01–1985 को निरस्त फरमावे।

पैरोकार राज की बहस सुनी गई। पैरोकार राज का कथन है कि भूतपूर्व सैनिकों को भूमि आवंटन हेतु आवश्यक दस्तावेजों में प्रार्थी के राजस्थान का मूल निवासी होने के साथ–साथ राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के नियम 2(ix-क) में भूतपूर्व सैनिक से अभिप्राय है कि "ऐसा भूमिहीन व्यक्ति जिसे भारत की सशस्त्र सेना में कम से कम 5 वर्ष की सेवा करने के पश्चात विमुक्त कर दिया गया हो।" अपीलाण्ट श्री पृथ्वीसिंह के आवेदन पत्र के साथ संलग्न डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के अनुसार श्री पृथ्वीसिंह दिनांक 07–12–1967 से दिनांक 07–08–1972 तक सशक्त सेना में कार्यरत रहे हैं, 2जो 5 वर्ष से कम का सेवाकाल रहा है। अतः श्री पृथ्वीसिंह के 5 वर्ष से कम सेवाकाल रहने के कारण, आवंटन अधिकारी द्वारा दिनांक 28–01–1985 को अपीलाण्ट का भूमि आवंटन हेतु आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया। उक्त अपील करीब 37 वर्ष बाद प्रस्तुत की है जो मियाद बाहर है। देरी का कोई कारण भी स्पष्ट नहीं किया है। अतः उक्त अपील के मार्फत अपीलाण्ट का अनुतोष शेष नहीं रहता है। अतः अपील अस्वीकार किये जाने योग्य है।

हमने पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। उभयपक्षों की बहस सुनी एवं मनन किया जिसके आधार पर विवेचन के तौर यह निष्कर्ष निकलता है कि अपीलाण्ट श्री पृथ्वीसिंह का सशक्त सेना में 5 वर्ष से कम सेवाकाल रहा है जिसके आधार पर आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर द्वारा अपीलाण्ट के आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा करीब 37 वर्ष बाद अपील प्रस्तुत की गयी है जो स्पष्टतः मियाद बाहर है। अतः अपीलार्थी श्री पृथ्वीसिंह को गुणावगुण के आधार पर किसी प्रकार का अनुतोष नहीं दिया जा सकता।

परिणामस्वरूप उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट मियाद बाहर होने से एवं गुणावगुण के आधार पर निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली वापिस हो।

निर्णय आज दिनांक 03–06–2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

3/6/2026

(नवनीत कुमार)
आयुक्त उपनिवेशन
बीकानेर

Scanned with OKEN Scanner